आपराधिक प्र.क.: 820/2014

<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 820 / 2014

संस्थित दि: 04 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) —————

विरूट

राजेन्द्र पिता पूरनसिंह बैगा, उम्र 30 साल जाति बैगा, निवासी पचामा छोटी घोदी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)

<u> –:: उर्पापण – आदेश ::</u>–

(आज दिनांक 15/10/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है
- (02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा मे है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पीतम ने आरक्षी केन्द्र रूपझर में दिनांक 27.07.2014 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि वह ग्राम पचामा में रहता है। दिनांक 26.07.2014 को वह जंगल में मवेशी चराने गया। मवेशी चराकर शाम को घर वापस आया तो उसकी लड़की शकुन्तला ने बताया कि उसकी पत्नी सोनाबाई को दिन के 02:00 बजे राजेन्द्र सिंह ने पैरो में पहने हन्टर शूज से मारपीट करने से मृत्यु हो गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/14 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 323 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की

आपराधिक प्र.क.: 820/2014

धारा 302, 323 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूध्द होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक 29.10. 2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया जाता है।
- (09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर, बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त संपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट